

1. योजना का नाम

1. मधुबन-बापूधाम पॉकेट-सी0 के बहुमंजिले 2BHK, 3BHK, 3BHK+Study पॉकेट-एफ0 2BHK
2. कोयल एन्क्लेव योजना के बहुमंजिले 1BHK, 2BHK,
3. इन्द्रप्रस्थ योजना के बहुमंजिले 1BHK एवं 2BHK Type-1 & 2BHK Type-2
4. मोदीनगर संजयपुरी योजना EWS आवासीय भवन

2. योजना का कोड एवं सम्पत्ति कोड

योजना	योजना कोड	सम्पत्ति कोड
मधुबन-बापूधाम बहुमंजिले पॉकेट-सी0	898	61Q
मधुबन बापूधाम पॉकेट-एफ0 (2BHK)	898	61J
कोयल एन्क्लेव योजना (1BHK)	900	61J
कोयल एन्क्लेव योजना (2BHK)	900	62J
इन्द्रप्रस्थ योजना (1BHK)	901	61M
इन्द्रप्रस्थ योजना (2BHK Type-1)	901	62M
इन्द्रप्रस्थ योजना (2BHK Type-2)	901	63M
मोदीनगर संजयपुरी योजना (EWS)	903	41D

3. योजना का विवरण

तालिका-1 के क्रमांक-1, 2, 3, 4, 5, 6 एवं 7 में अंकित है।

3.1 स्थिति

उक्त भवन प्राधिकरण के विकास क्षेत्र में स्थित है।

3.2 भवनों का प्रकार

इस योजना में विभिन्न प्रकार के भवन हैं। भवनों का विवरण तालिका-1 के कॉलम नं०-3 में अंकित है।

3.3 भवनों का अनुमानित क्षेत्रफल

भवनों का क्षेत्रफल विभिन्न प्रकार के प्लेटों के लिए तालिका-1 के कॉलम सं०-5 में दर्शाया गया है। यह अनुमानित है, वास्तविक क्षेत्रफल कब्जे के समय भिन्न हो सकता है।

3.4 भवनों का अनुमानित मूल्य

भवनों का अनुमानित मूल्य तालिका-1 के कॉलम संख्या-6 में दर्शाया गया है, जो कॉलम संख्या-5 में दर्शाये गये क्षेत्रफल पर आधारित है। कब्जा देते समय वास्तविक क्षेत्रफल के आधार पर अन्तिम लागत भिन्न हो सकती है।

1. SCHEME NAME :

1. Madhuban-Bapudham Pocket-C -Multistorey 2BHK, 3BHK, 3BHK+Study, Pocket-F - 2BHK
2. Multistorey 1BHK and 2BHK flats of Koyal Enclave Scheme.
3. Multistorey 1BHK and 2BHK Type-1 & 2BHK Type-2 flats of Indraprastha Scheme.
4. EWS flats of Modinagar Sanjaypuri Scheme.

2. THE SCHEME CODE

SCHEME	SCH. Code	PROP. Code
Madhuban-Bapudham Multistorey Pocket-C	898	61Q
Madhuban-Bapudham Pocket-F (2BHK)	898	61J
Koyal Enclave Yojana (1BHK)	900	61J
Koyal Enclave Yojana (2BHK)	900	62J
Inderprasta Yojana (1BHK)	901	61M
Inderprasta Yojana (2BHK Type-1)	901	62M
Inderprasta Yojana (2BHK Type-1)	901	63M
Modinagar Sanjaypuri Yojana (EWS)	903	41D

3. SCHEME DETAILS

Avialable on Table- No. 1 in S.No.-1, 2, 3, 4, 5, 6 &7

3.1 LOCATION

These flats are situated within the deelopment area of the authority.

3.2 TYPES OF FLATS

Different types of flats are available under the scheme. The details of flats are given Table No. 1 in Colum No.-3.

3.3 ESTIMATED AREA OF FLATS :

Area of flats of different types has been mentioned in Column No. 5 of Table No.- 1 The given area may be vary at the time of Possession.

3.4 ESTIMATED COST OF FLATS

Cost of Flats has been mentioned in Column No. 6 of Table No. 1. This is based on area given in Column No.-5 of Table No.-1, however, the final cost of flat may vary depending on the exact area of flat after the construction is completed.

4. योग्यता

- 4.1 आवेदक भारत का नागरिक हो।
- 4.2 योजना में आवेदन करने की अन्तिम तिथि पर आवेदक की आयु 18 वर्ष से कम न हो।
- 4.3 जिन व्यक्तियों ने गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत पहले से ही पंजीकरण करवाया हुआ है अथवा सम्पत्ति आवंटित है ऐसे व्यक्ति भी निर्धारित पंजीकरण शुल्क जमा करा कर आवेदन कर सकते हैं।

5. आवेदन कैसे करे

पहले आओ पहले पाओ योजना के अन्तर्गत आवेदको को ऑनलाइन पोर्टल <https://gdafcs.gdaghaziabad.in> के माध्यम से स्वयं की पंजीकरण करते हुए आवेदन करना होगा। आवेदक प्राधिकरण के हेल्पलाइन नं०-0120-4418384 के माध्यम से पंजीकरण हेतु सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

पंजीकरण उपरान्त चयनित सम्पत्ति के कुल मूल्य का 10 प्रतिशत पंजीकरण राशि ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से जमा करनी होगी। तत्पश्चात पोर्टल से जनरेट आवेदन पत्र, भुगतान की रसीद एवं सम्बन्धित प्रपत्र प्राधिकरण के स्वागत कक्ष में जमा करने पर आवंटन की अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

- 5.1 अपूर्ण अथवा गलत भरे गये आवेदन पत्र बिना सूचना के निरस्त कर दिये जायेंगे।
- 5.2 आवेदक को आवेदन पत्र पर राजपत्रित अधिकारी अथवा पब्लिक नोटरी से सत्यापित पासपोर्ट साईज फोटों लगाना आवश्यक होगा।
- 5.3 जैसे ही आवेदक द्वारा आवेदन किया जाता है एवं चयनित सम्पत्ति की निर्धारित पंजीकरण धनराशि जमा किये जाने के तत्पश्चात पोर्टल पर अन्य आवेदको को प्रश्नगत भवन संख्या विक्रय अवस्था में प्रदर्शित होगी, जिसका चयन सम्भव नहीं होगा। इसके अतिरिक्त चयनित सम्पत्ति के पंजीकरण धनराशि जमा करने के समय अन्तराल में चयनित सम्पत्ति उक्त आवेदक हेतु 15 मिनट के लिए सफल भुगतान की प्रक्रिया में आरक्षित कर दी जायेगी। यदि नियत समय में भुगतान प्रक्रिया सफल नहीं होती है, तो चयनित सम्पत्ति अन्य आवेदको के लिए सूची में चयन हेतु उपलब्ध होगी।
- 5.4 बैंक से क्लियरेंस प्राप्त होने के पश्चात पंजीकरण फार्म में आवश्यक दस्तावेज (फोटो, हस्ताक्षर, ₹ 10 के शपथ-पत्र, आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण-पत्र आदि) अपलोड करने होंगे। जिसकी सूचना आपके पंजीकृत मोबाईल पर SMS के माध्यम से दी जायेगी तथा <https://gdafcs.gdaghaziabad.in> से भी ज्ञात की जा सकेगी।

6. आवंटन धनराशि

- 6.1 किश्तों पर आवंटित भवन के अनुमानित मूल्य का 20 प्रतिशत आवंटन पत्र प्रेषित किए किये जाने की तिथि से 60 दिन की अवधि के अन्दर डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप

4. ELIGIBILITY

- 4.1 The applicant must be a citizen of India.
- 4.2 Applicants age should not be less than 18 years on the last date of submission of application form.
- 4.3 Persons who are already registered within various scheme of GDA have allotted property may also apply by depositing registration amount of registration fees.

5. HOW TO APPLY

Under the first come first serve scheme, applicants will have to apply by registering themselves through the online portal <https://gdafcs.gdaghaziabad.in>. Applicants can get help for registration through helpline number 0-0120-4418384 of the authority.

After registration, 10 percent of the total value of the selected property will have to be deposited through the online portal.

- 5.1 Incomplete or incorrect application forms will be cancelled without making any reference or intimation to the applicant.
- 5.2 Applicant must paste a passport size photograph duly attested by a Gazetted officer or Public Notary on application form.
- 5.3 After depositing the prescribed registration amount of the selected property by the applicant, selected property number will be displayed in the sold state to other applicants on the portal, whose selection will not be possible. Apart from this, the selected property will be reserved for the said applicant in the process of successful payment for 15 minutes during the time of depositing the registration amount of the selected property. If the payment process is not successful within the stipulated time, the selected property will be available for selection in the list for other applicants.
- 5.4 Documents required in the registration form (Photo, Signature, ₹ 10/- Affidavit, Reservation certificate etc.). Whose information will be given through SMS to your registered mobile & can also be non from the online portal <https://gdafcs.gdaghaziabad.in>

6. ALLOTMENT AMOUNT

- 6.1 Allottee will have to pay 20% amount (with adjustment of registration money) of the estimated cost of the flat through Bank draft within 60 days from the date of issue of allotment letter without

में बिना ब्याज के जमा कराना होगा, जिसमें आवेदन पत्र के साथ जमा की गई पंजीकरण राशि को समायोजित कर लिया जायेगा।

6.2 किश्तें

आवंटन पत्र प्रेषित होने के उपरान्त शेष 80 प्रतिशत धनराशि एस0बी0आई0 बैंक द्वारा निर्धारित वर्तमान **MCLR+1** प्रतिशत ब्याज सहित देय होगी। विवरण निम्नवत् है :-

EWS भवन	10 प्रतिशत पंजीकरण राशि 10 प्रतिशत आवंटन राशि 80 प्रतिशत अवशेष धनराशि 20 वर्षों की ब्याज सहित किश्तों में।
2BHK, HIG एवं बहुमंजिले भवन	10 प्रतिशत पंजीकरण राशि 10 प्रतिशत आवंटन राशि 80 प्रतिशत अवशेष धनराशि 07 वर्षों की ब्याज सहित किश्तों में।

किश्तों में ब्याज एवं जी0एस0टी0 देय होने पर किश्तों में जोड़कर भुगतान विवरण तैयार किया जायेगा। ब्याज की गणना प्रतिदिन के हिसाब से रुपये के निकटतम पूर्णांक में होगी। किश्तों से सम्बन्धित धनराशि ऑन लाईन पोर्टल <https://income.gdaerp.in> के माध्यम से जमा की जा सकेगी।

6.3 आवंटन राशि/किश्तों के विलम्ब से भुगतान करने पर देय तिथि से भुगतान की तिथि तक 2 प्रतिशत चक्रवृद्धि दण्ड ब्याज की दर से अतिरिक्त भुगतान करना होगा। समय विस्तार के प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

6.4 एकमुश्त भुगतान पर छूट

एकमुश्त भुगतान किये जाने पर छूट निम्नवत् प्रदान की जाएगी।

- 45 दिवस में जमा करने पर 6 प्रतिशत की छूट
- 60 दिवस में जमा करने पर 5 प्रतिशत की छूट
- 90 दिवस में जमा करने पर 4 प्रतिशत की छूट

आवंटी द्वारा जिस दिवस को पूर्ण धनराशि जमा की गयी है उसे उसी दिवस की छूट अनुमन्य होगी

7. समर्पण/निरस्तीकरण

7.1 यदि किसी आवेदक द्वारा आवंटित भवन का समर्पण आवंटन तिथि के 6 माह के अन्दर किया जाता है तथा नियम व शर्तों का उल्लंघन नहीं करता है, तो उस स्थिति में पंजीकरण राशि की 10 प्रतिशत धनराशि कटौती कर शेष धनराशि बिना ब्याज के वापस कर दी जायेगी। धनराशि वापसी हेतु समस्त मूल प्रपत्र व मूल रसीद देनी होगी।

7.2 यदि किसी आवेदक द्वारा आवंटित भवन का समर्पण आवंटन तिथि के 6 माह के अन्दर किया जाता है परन्तु आरक्षण राशि व देय किश्त जमा नहीं करता है अथवा किसी अन्य नियम व शर्तों का उल्लंघन के आधार पर

interest. The registration amount paid at the time of registration will be adjusted in this amount.

6.2 INSTALMENTS

After the allotment. Balance 80% amount shall be payable with currunt MCLR+1 Of SBI Bank As per following :

EWS House	10% Registration Amount 10% Allotment Amount 80% Balance amount with interest in 20 year installments.
2BHK ,HIG & Multistory Building	10% Registration Amount 10% Allotment Amount 80% Balance amount with interest in 7 year installments.

Payment details will be prepared by adding interest in installments and GST (if payable) in installments. Interest will be calculated on daily basis to the nearest round of rupees. The amount related to installments can be deposited through online portal <https://income.gdaerp.in>

6.3 Delayed payment of allotment amounts/installments will result in an additional payment of 2% compound interest from the due date to the date of payment. Requests for extensions will not be accepted.

6.4 ONE TIME PAYMENT DISCOUNT

Discounts for lump sum payments will be provided as follows:

- 6% discount for payments made within 45 days
 - 5% discount for payments made within 60 days
 - 4% discount for payments made within 90 days
- The discount will be available on the same day the allottee deposits the full amount.

7. SURRENDER/CANCELLATION

7 1 If any applicant surrenders the allotted flat within 6 months of allotment and he/she is not a defaulter on account of any breach of any terms and conditions, then 10% of the registration amount shall be forfeited and the balance amounts shall be refunded without any interest. All original documents and receipt will have to be submitted for refund.

7.2 If any applicant surrenders the allotted flat within 6 months of allotment but does not pay allotment money and due installment amount or breaches any term & conditions or his allotments is cancelled by G.D.A. on account of any breach of any terms and

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटन निरस्त कर दिया जाता है तो पंजीकरण राशि की 25 प्रतिशत धनराशि जब्त कर ली जायेगी और शेष धनराशि बिना ब्याज के वापस कर दी जायेगी।

- 7.3 आवंटन तिथि से 6 माह के पश्चात किसी भी प्रकार के समर्पण/निरस्तीकरण की दशा में सम्पूर्ण पंजीकरण धनराशि जब्त कर ली जाएगी और शेष धनराशि यदि कोई है तो बिना ब्याज के वापस कर दी जायेगी।
- 7.4 भुगतान विवरण के अनुसार 3 किश्तें लगातार अदा न करने पर भवन का नियमानुसार आवंटन निरस्त करने का अधिकार उपाध्यक्ष गा0वि0प्रा0 प्राधिकरण को होगा, एवं लगातार 6 किश्तें अदा न करने पर आवंटन स्वतः निरस्त माना जाएगा।

8. आय कोड

इस योजना में कोई आय सीमा निर्धारित नहीं है।

9. भवनों का आवंटन “पहले आओ पहले पाओ” के आधार पर ऑन लाइन पोर्टल के माध्यम से किया जायेगा। रिक्त भवनों की सूची पोर्टल पर दर्शित है। आवेदक सूची में दर्शित रिक्त भवनों में से किसी भी भवन/भवनों के लिए आवेदन कर सकता है। पंजीकरण शुल्क जमा करने के उपरान्त चयनित भवन तत्काल आवेदक के लिए स्वतः आरक्षित हो जायेगा। आवेदक को ऑनलाइन सम्पत्ति आरक्षित होने पश्चात निम्न प्रपत्र पोर्टल पर अपलोड करने होंगे, जिसकी सूचना SMS के माध्यम से दी जायेगी।

1. पोर्टल द्वारा प्राप्त आवेदन फार्म।
2. पोर्टल द्वारा प्राप्त भुगतान रसीद।
3. बैंक स्टेटमेंट जिसमें भुगतान की एन्ट्री दर्शित हो।
4. रु0 10 का शपथ-पत्र।
5. पैन कार्ड की फोटोप्रति।
6. आधार कार्ड की फोटोप्रति।
7. दो पासपोर्ट साईज कलर फोटो।

उक्त सभी प्रपत्र स्वतः हस्ताक्षरित/प्रमाणित होने चाहिए।

10. मिथ्या आवेदन अथवा तथ्यों का छुपाना

यदि यह पाया जाता है कि आवेदक द्वारा गलत सूचनाएं दी गई हैं अथवा उसने किन्हीं वास्तविक तथ्यों को छुपाया है तो पंजीकरण के साथ-साथ भवन का आवंटन आवेदक को बिना बताये निरस्त कर दिया जाएगा तथा उसे भविष्य में होने वाले ड्रा अथवा पहले आओ पहले पाओ योजना से वंचित कर दिया जाएगा एवं पंजीकरण राशि को जब्त कर लिया जाएगा। तत्क्रम में प्राधिकरण कार्यालय में कैम्प आयोजित होगा।

11. विक्रय पद्धति

इस योजना में भवन किराया क्रय पद्धति पर लीज आधार पर आवंटित होंगे। 90 वर्ष की अवधि हेतु लीज पर आवंटित इन भवनों पर भूमि मूल्य का 10 प्रतिशत लीज किराया देय होगा।

conditions, then 25% of the allotment amount shall be forfeited and the balance amount shall be refunded without any interest

- 7.3 In case of any surrender/cancellation after 6 months from the date of allotment, the whole of registration money shall be forfeited and balance amount, if any, shall be refunded without interest.

- 7.4 As per the payment details, if 3 consecutive installments are not paid, the Vice Chairman, Rural Development Authority will have the right to cancel the allotment of the building as per the rules, and if 6 consecutive installments are not paid, the allotment will be automatically considered cancelled.

8. INCOME CODE

This Scheme has no income limit boundation .

9. Allotment of property will be done on the basis of First come First Serve through online portal. The list of vacant properties is displayed on the portal. The applicant can apply for any of the vacant property/properties shown in the list. After depositing the registration fee, the selected property will be automatically reserved for the applicant.

The applicant will have to upload the following documents after reserving the property online. Information regarding documents uploading will be forwarded through sms. The forms will be as follows:-

1. Application form received by the portal.
2. Payment receipt received by the portal.
3. Bank statement showing the entry of payment.
4. Affidavit of Rupees 10/=
5. Photocopy of PAN Card.
6. Photocopy of Aadhaar Card.
7. Two passport size color photographs.

All the documents should be self signed/attached

10. REPRESENTATION OR SUPPRESSION OF FACTS

If it is found that the applicant has given incorrect information or suppressed any material fact, the allotment will be cancelled without any communication to the applicant and he/she will be debarred from participating in future draws & First come first serve scheme. Further his/her registration amount shall be forfeited. Every day camp organized at GDA Meeting hall.

11. TRANSFER OF RIGHTS :

In this scheme house allotted on hire purchases a pattern on lease basis. 10% the premium of land shall be charged on account of lease rent for 90 years

12. पट्टा विलेख आवंटी को समस्त मूल्य जमा कराने के उपरान्त 3 माह के अन्दर समस्त औपचारिकतायें पूर्ण कराकर अपने खर्चे पर प्राधिकरण द्वारा निर्धारित प्रारूप में पट्टा विलेख निष्पादित एवं पंजीकृत कराना अनिवार्य होगा, अन्यथा प्राधिकरण द्वारा तत्समय की गई दण्डात्मक कार्यवाही आवंटी को मान्य होगी। सम्पत्ति की रजिस्ट्री किये जाने के समय सम्बंधित आवंटी की पत्नी अथवा पति, जैसे स्थिति हो, का नाम रजिस्ट्री में अनिवार्य रूप से करवाना होगा, जब तक कि विवाह विच्छेद न हो चुका हो एवं यदि कोई आवंटी स्त्री है व उसने स्वयं के धन से सम्पत्ति क्रय कि हो तो पति का नाम सम्मिलित न किये जाने के अनुरोध पर एकल नाम से रजिस्ट्री की जायेगी	12. LEASE DEED Allottee, at his/her own cost must complete all formalities and get the lease deed executed and registered in proforma prescribed by the Authority, within three months of paying full cost of the property. Otherwise allottee will face penal proceeding as per prevailing Laws of authority at that time. At the time of registry of the property, the name of the wife or husband of the concerned allottee, as the case may be, will have to be mandatorily included in the registry, unless the marriage has been dissolved. If any allottee is a woman and has purchased the property with her own money, then on the request of not including the name of the husband, the registry will be done in her single name.
13. कब्जा इस योजना में भवन का कब्जा अनुबन्ध विलेख अथवा पट्टा विलेख निष्पादित कराने के साथ ही आवंटी को दे दिया जायेगा। पट्टा विलेख पर हुए व्यय आवंटी द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा।	13. POSSESSION Possession of the flat in this scheme shall be given with Agreement of Lease or Lease Deed Executed by the allottee. The cost of lease deed shall be borne by the allottee.
14. अन्य 14.1 प्रश्नगत योजना में उत्तर प्रदेश भू-सम्पदा नियामक एवं विकास अधिनियम के प्राविधान लागू होंगे। भवन पूर्ण है तथा कब्जे हेतु तैयार है। 14.2 आवंटी को समय समय पर लागू होने वाले समस्त म्यूनिसिपल कर एवं अन्य कर जो स्थानीय निकाय या शासन द्वारा नियम एवं उपनियम के अन्तर्गत लगाये जाते हैं, का भुगतान कब्जा लेने की तिथि से समय पर जमा कराना होगा। इसके अतिरिक्त यदि अन्य किसी कर की देयता होगी, तो वह आवंटी द्वारा देय होगी। 14.3 आवंटी विद्युत कनेक्शन व पानी का कनेक्शन सम्बन्धित विभागों से अपने खर्चे पर स्वयं लेगा। 14.4 यदि आवंटी प्राधिकरण द्वारा निर्गत कब्जा पत्र में निर्धारित तिथि तक भवन का कब्जा नहीं लेता है तो आवंटी को नियमानुसार प्रतिमाह की दर से चौकीदारी शुल्क गा0वि0प्रा0 को देना होगा तथा इस शुल्क में प्रत्येक वर्ष 01 अप्रैल से 10 प्रतिशत की स्वतः बढ़ोत्तरी की जाती रहेगी।	14. OTHERS 14.1 The Uttar Pradesh RERA will be applicable to the scheme, Houses is Complete Ready to Possession. 14.2 Allottee shall pay all the municipal taxes and any other taxes which may be charged by Government or any local bodies from time to time according to laws and bye-laws from the date of possession. If any other liability and taxes are pay by allottee. 14.3 Allottee, himself/ herself, will apply for the electricity/ water connection to the concerned department at his/her own expenses. 14.4 If the allottee does not take possession of the flat within the due time, he/she shall pay as per Rule per month as chowkidara charges to GDA and the will be increased automatically by 10% every year from 01 April.
15. भवनों का प्रयोग आवंटी द्वारा भवनों का प्रयोग केवल आवासीय प्रयोजन के लिए ही किया जाएगा। इस हेतु आवेदन के साथ शपथ पत्र देना होगा।	15. USE OF FLATS The flat shall not be used for any other purpose except residential by the allottee. Allottee should attached the affidavit for same.
16. अन्य महत्वपूर्ण सूचनाएं 16.1 आवंटन तक इस योजना की किसी भी शर्त में संशोधन का अधिकार उपाध्यक्ष, गा0वि0प्रा0 को होगा तथा ऐसे संशोधन आवेदकों/आवंटियों को मान्य होंगे।	16. OTHER IMPORTANT NOTICES 16.1 Vice Chairman, Ghaziabad Development Authority, reserves the right to amend any terms and conditions of the scheme till the time of allotment and such amendment or amendments shall be acceptable and binding on the applicants/allottees.

16.2	तालिका 1 में दर्शाये गये भवनों के क्षेत्रफल में परिवर्तन हो सकता है। योजना के कब्जा के समय भवनों के क्षेत्रफल में परिवर्तन संभव है जो कि अन्तिम रूप से बाद में सूचित किया जाएगा जिसे आवंटी को स्वीकार करना होगा तथा उसके अनुसार भुगतान करना होगा।	16.2	Area of flats shown in table-1 may change at the time of actual Possession of the scheme. Changed area. will be acceptable to the allottee and payment shall be made accordingly.
16.3	इस योजना से सम्बन्धित प्रत्येक मामले पर उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण का निर्णय अन्तिम होगा।	16.3	Decision of the Vice-Chairman, Ghaziabad Development Authority will be final in every matter regarding this scheme.
16.4	भवनों का विक्रय जहाँ है जैसा है के आधार पर किया जायेगा।	16.4	Flats will be sold in the condition in which they are already present.
16.5	किसी भी विवाद की दशा में न्यायालय गाजियाबाद को ही अधिकार क्षेत्र प्राप्त होगा।	16.5	Ghaziabad courts shall have exclusive jurisdiction in case of any disputes.

Vice-Chairman
Ghaziabad Development Authority